ज्ञापांक–**8069**/Tech./2025

# अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–07.11.2025

सेवा में,

**ROMY JHA,**
MOTHERS INTERNATIONAL SCHOOL ZAHER BRAMBE RANCHI

**विषयः–** **MOTHERS INTERNATIONAL SCHOOL ZAHER BRAMBE RANCHI स्कूल भवन का अग्नि–सुरक्षात्मक अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीकरण।**

उपर्युक्त विषयक आपके द्वारा ऑन–लाईन भेजे गये प्रस्ताव के आलोक में संबंधित निर्मित स्कूल भवन में कराये गये अग्नि–सुरक्षात्मक उपायों की भौतिक जाँच प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, झरिया से कराई गई। उनके ज्ञापांक–424 दिनांक–31.11.2025 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न शर्त्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीकरण निर्गत किया जाता है कि :–

1. Set–Back Area को हर समय किसी भी प्रकार के अवरोध से पूरी तरह मुक्त रखेंगे।
2. अस्पताल भवन तक जानेवाली पहुँच पथ को किसी प्रकार से कभी भी बाधित नहीं रखा जायेगा।
3. अस्पताल भवन में निर्धारित अन्तराल पर सभी उपकरणों का संधारण सुनिश्चित किया जाय। संधारण के अभाव में ये उपकरण बेकार भी हो सकते हैं।
4. अस्पताल भवन में किसी भी Fire Extinguisher को प्रयोग में लाने के बाद उसे तुरन्त रिफिलिंग करा लेंगे।
5. अपातकाल की अवस्था में Escape Routes के साथ–साथ Evacuation Drill के तरीकों की जानकारी का जो Display किया गया है, उसे संधारित रखा जाय।
6. अस्पताल भवन में काम करने वाले सभी सुरक्षा कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों के उपयोग एवं जाँच के तरीकों की जानकारी का रहना आवश्यक है।
7. Fire and Evacuation Drill का आयोजन वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य किया जाय, जिसमें भवन में काम करने वाले सभी कर्मियों को निश्चित रूप से शामिल किया जाय। इस ड्रील में वर्ष में कम से कम एक बार स्थानीय अग्निशमन सेवा को भी शामिल किया जाय।
8. Fire Practices and Evacuation Drill का विस्तृत लेखा एक पंजी में संधारित रखा जाय।
9. First Aid Fire Fighting Arrangements को IS Specifications के अनुसार हर समय संधारित एवं तैयारी की हालत में रखा जाय।
10. समय–समय पर सभी हाईड्रैण्ट को फ्लश आउट किये जाने की व्यवस्था की जाय।
11. Smoke Detectors को वैकल्पिक पावर से हमेशा जोड़कर रखा जाय ताकि किसी भी परिस्थिति में उसका स्वचालन बाधित न हो सके।
12. इस बात का खास ध्यान रखा जायेगा कि कार्य के दौरान किसी भी प्रवेश अथवा निकास द्वार में न तो ताला लगाया जायेगा न हीं बाहर से बोल्ट किया जायेगा।
13. अस्पताल भवन में किसी भी प्रकार की असावधानी अथवा लापरवाही से यदि आगजनी की घटना घटित होती है, तो इसके लिए संबंधित प्रबंधन पूर्ण रूप से स्वयं जवाबदेह होंगे।
14. अस्पताल भवन में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर बीच में भी अनुज्ञप्ति रद्द करने की अनुशंसा की जा सकती है, जिससे होनेवाली किसी भी प्रकार की असुविधा हेतु संबंधित प्रबंधन पूर्ण रूप से स्वयं जवाबदेह होंगे।
15. आकस्मिक सेवाओं के टेलीफोन नम्बर का डिस्प्ले किया जाय, उसे निर्धारित रखा जाय।
16. संबंधित स्कूल भवन में कभी भी किसी भी प्रकार का विवादित मामला होने पर संबंधित स्कूल को दिये गये अनापत्ति प्रमाण–पत्र का नवीकरण को जॉचोपरान्त कभी भी रद्द किया जा सकता है।
17. यह अनापत्ति प्रमाणपत्र का नवीकरण दिनांक–02.10.2026 तक के लिये मान्य है।

JITENDRA TIWARY

Digitally signed by JITENDRA TIWARY
DN: c=IN, o=PERSONAL, title=9053, pseudonym=fdbdee274971488cb4dce37ab5e245e7, 2.5.4.20=894e76e7a55211af8cedc5c01fc9008f3f4b20579f87b90a96d6b7a5458ea0b0, postalCode=834004, st=Jharkhand, serialNumber=c2ef3f40dd8c08af2be3efeb12fbb7360caeb368d01281729c3d8961d7e6d816, cn=JITENDRA TIWARY
Date: 2025.11.07 22:02:00 +05'30'

**(जितेन्द्र तिवारी)**
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी
झारखण्ड, राँची।